15.5.18 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत
आयोजन में अदल हेतु केन्द्र
कारणों का तलब में पेश हुई।
पक्षकारान को जारी लोक अदालत
नोटिस तामील हुआ प्राप्त हुए।
जाली अनु./ विपक्षीगण के
नोटिस तामीली होने के है। बाद
बावजूद सूचना अनुपस्थित है।
उपस्थित का निस्तारण गुणावगुण
पर किया जा रहा है। जारी
का आदेश व्यापारिक से आधीन
भय के स्वीकार किया जाकर
विस्तृत आदेश प्रकार के लिखवाया
जाकर सुनाया गया और शामिल
मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल दर्ज रजिस्टर होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प– पंचायत मुख्यालय सारणों का तला)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 24/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
रावताराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहमण निवासी–जैरूपाणियों का तला, होडू तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.तुलछाराम पुत्र भैराराम 2. मोटाराम पुत्र सोनाराम 3. ठाकराराम पुत्र कोहला 4. धीराराम पुत्र कोहला 5. लिखमाराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी जैरूपाणियों का तला होडू तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 6.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश

दिनांक–15.05.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैरूपाणियों का तला, पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 379 रकबा 20–00 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम जैरूपाणियों की ढाणी,

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 379 रकबा 20–00 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैरूपाणियों का तला, पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 379 क्रमशः रकबा 20–00 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम जैरूपाणियों का तला, पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 379 रकबा 20–00 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम जैरूपाणियों का तला, पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 379 रकबा 20–00 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर **ग्राम जैरूपाणियों का तला, पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 379 रकबा 20–00 बीधा** भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

तहसीलदार सिणधरी के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन पेश करें। आवेदन पेश किये जाने पर तहसीलदार सिणधरी नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। उक्त कार्यवाही सम्पादित होने के उपरांत विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 15-05-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner